कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 33/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 28.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-बरदहः-चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 27.01.25 को समय करीब 16.12 बजे वादी सुनील कुमार यादव पुत्र उमेश यादव निवासी ग्राम ठेकमा थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा मन्दिर से दान पेटी चुराते समय चोर को पकड़ कर दान पेटी सहित 370 रूपये तथा पकड़े गये व्यक्ति सहित थाना स्थानीय आये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/25 धारा 305, 317(2) bsn बनाम राकेश बनवासी पुत्र तुफानी बनवासी निवासी ग्राम बेलऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. राकेश बनवासी पुत्र तुफानी बनवासी निवासी ग्राम बेलऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

01. दान पेटी व उसमें रखा 370 रुपया।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 24/25 धारा 305,317(2) BNS थाना बरदह, आजमगढ़

02.थाना-मुबारकपुरः-दहेज हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

➡ दिनांक 25.01.2025 को वादिनी थाना रौनापार जनपद आजमगढ द्वारा स्वंय की पुत्री को प्रेम सम्बन्ध में अभियुक्त सत्यम जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा भगाकर ले जाने व शादी करने एवं शादी करने के बाद दहेज की मांग करने एवं गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी देने जिससे आहत होकर वादिनी की पुत्री द्वारा फाँसी लगा लेना, जिससे वादिनी की पुत्री की मृत्यु हो गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/2025 धारा 85/80(2)/115(2)/352/351(2) BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 28.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सत्यम जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को मोहल्ला कटरा स्थित अभियुक्त के घर से समय करीब 07.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्तः-

01.सत्यम जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

01.मु0अ0सं0 36/2024 धारा 85/80(2)/115(2)/352/351(2) BNS व 3/4 DP ACT थाना मुबारकपुर आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

01.मु0अ0सं0 36/2024 धारा 85/80(2)/115(2)/352/351(2) BNS व 3/4 DP ACT थाना मुबारकपुर आजमगढ
02. मु0अ0सं0 129/2024 धारा 366/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ

03.थाना-पवईः-जानलेवा हमला करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.10.24 को आवेदक सुधीर कुमार सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि आज शाम समय करीब 4.00 बजे अभियुक्तों 1. अनुराग सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ 2. आकाश सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ 3. आकांक्षा पुत्री इन्द्रजीत सिंह ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ 4. शीला सिंह पत्नी इन्द्रजीत सिंह ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ द्वारा वादी के पिता महेन्द्र प्रताप सिंह जो कि पड़ोस के इन्द्रजीत सिंह व रणजीत सिंह के बीच के विवाद मे बीच-बचाव कर रहे थे, को उग्र होकर लाठी डण्डा ईट-पत्थर व धारदार लोहे की राड से मारने लगे, जिससे उन्हे गम्भीर चोटें आयी व वे मौके पर बेहोश हो गये। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 345/24 धारा 115(2), 125, 118(1),110 बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचना के क्रम में मेडिकल रिपोर्ट, बयान ग्रामवासीगण व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 28.01.25 को उ0नि0 मनीष मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1.अनुराग सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ 2. आकांक्षा पुत्री इन्द्रजीत सिंह ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ 3. शीला सिंह पत्नी इन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ को उनके घर से समय करीब 07.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की राड को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.अनुराग सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़

2. आकांक्षा पुत्री इन्द्रजीत सिंह ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़

3. शीला सिंह पत्नी इन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम सुलेमापुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0स0 345/25 धारा 109,110,115(2),125,118(1) बीएनएस

बरामदगीः-

01.एक अदद लोहे का राड

04.थाना-कोतवाली:-चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

➡ दिनांक 24.01.2025 को समय करीब 02.00 वादी सौरभ दूबे पुत्र दुर्गा प्रसाद दूबे ग्राम नायकडीक पोस्ट सोनियापार थाना खानपुर गाजीपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि समय करीब 02.00 बजे आयकर कार्यालय के सामने से मेरी मोटर साइकिल नम्बर UP65 DS7890 गायब हो गयी है। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 36/25 धारा 303(2) बीएनएस दिनांक 25.1.25 को पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 07.01.2024 को वादी राजेश राय पुत्र मंगला प्रसाद निवासी पूरबपट्टी थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी की गाड़ी रजि0न0 UP.50.BF.8073 खेत में खड़ी थी, उसी समय संदीप सोनकर व एक अज्ञात द्वारा मोटर साइकिल चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 357/24 धारा 303(2), 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द चौकी प्रभारी रोडवेज, मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्त 1. श्यामलाल प्रजापति पुत्र राम जियावन प्रजापति उर्फ फजीहत साकिन ददरा भगवानपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को दिनांक 27.1.25 को समय करीब 19.25 बजे प्राइवेट बस अड्डा जजी मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 अदद मोटर साइकिल हीरो सुपर स्प्लेन्डर, रंग काला जिसके पिछले नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP.58.F.3165 की लगी है तथा आगे नम्बर प्लेट नहीं लगी है और जिसका चेचिस नं0 MBLJAR168J9D24791, इंजन सं0 JA06EHJ9D23258 अंकित पाया गया। जाँच में वाहन का वास्तविक नम्बर UP.50.BF.8073 व मालिक का नाम राजेश कुमार राय पुत्र मंगला प्रसाद राय साकिन पूरब पट्टी पोस्ट भीलम पट्टी अहिरौला जनपद आजमगढ़ पाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरणः-

1. श्यामलाल प्रजापति पुत्र राम जियावन प्रजापति उर्फ फजीहत साकिन ददरा भगवानपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1 अदद मोटर साइकिल हीरो सुपर स्प्लेन्डर, रंग काला

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 44/2025 धारा 317(2),318,338,336,340 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 44/25 धारा 317(2),318,338,336,340 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 36/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 357/24 धारा 303(2), 351(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

05.थाना-देवगाँवः-70 लाख रूपये के लूट की झूठी सूचना देने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरणः-

दिनांक 27.01.2025 को उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि शिवकुमार जायसवाल पुत्र कन्हैया लाल जायसवाल निवासी मथुरापुर नन्दापुर थाना देवगांव आजमगढ़ के शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज पेप्सी कोल्ड ड्रिंक एजेन्सी से समय करीब 10.30 बजे दो अज्ञात बदमाशों द्वारा असलहे के बट से मारकर दो बैग में रखे 70 लाख रूपये लूट लिया गया। जिसकी जांच उच्चाधिकारीगणों द्वारा किया गया तो घटना मनगढंत व झूठा पाया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 217,121(1) बीएनएस बनाम 1.शिवकुमार जायसवाल पुत्र कन्हैया लाल जायसवाल निवासी मथुरापुर नन्दापुर थाना देवगांव आजमगढ़ 2.जेवा निसार पत्नी इम्तियाज निवासी मिर्जापुर थाना देवगाव आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 28.01.2025 को प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवकुमार जायसवाल पुत्र कन्हैया लाल जायसवाल निवासी मथुरापुर नन्दापुर थाना देवगांव आजमगढ़ व अभियुक्ता जेवा निसार पत्नी इम्तियाज निवासी मिर्जापुर थाना देवगाव आजमगढ़ को समय करीब 11.50 बजे अभियुक्त शिवकुमार जयसवाल के घर के सामने बहद ग्राम नन्दापुर मथुरापुर से हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरणः-

1. शिवकुमार जायसवाल पुत्र कन्हैया लाल जायसवाल निवासी मथुरापुर नन्दापुर थाना देवगांव आजमगढ़
2. जेवा निसार पत्नी इम्तियाज निवासी मिर्जापुर थाना देवगाव आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 32/2025 धारा 217,121(1) बीएनएस थाना देवगाव आजमगढ़।

06.थाना-अहरौलाः-किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरणः-

दिनांक 23.01.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त मन्दीप पुत्र रामदरश निवासी ग्राम रकबा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बहला फुसला करके कहीं भगा ले गया है तथा भगाने में रामदरश पुत्र स्व0 सम्पत, तुफानी पुत्र स्व0 सम्पत, गोलू पुत्र रामदरश पता उपरोक्त का भी हाथ है काफी खोजबीन किया पता नहीं चला। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम 1. मन्दीप पुत्र रामदरश 2. रामदरश पुत्र स्व0 सम्पत 3. तूफानी पुत्र स्व0 सम्पत 4. गोलू पुत्र रामदरश निवासीगण रकबा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 28.01.2025 को उ0नि0 विजयी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मन्दीप पुत्र रामदरश निवासी रकबा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को हसनाडीह मोड़ के पास से समय करीब 12.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक- 28.01.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा बारजा निकालने को लेकर गाली गुप्ता व धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट कर घायल करते हुए बेहोस करने तथा बाद में मृत्यु होने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष की सश्रम सजा एवं 8000-8000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना दीदारगंज: 04 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 8000-8000/- रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 10.02.2016 को वादी मुकदमा चन्द्रेश पुत्र स्व0 लाल बहादुर निवासी सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1.रामदास पुत्र बटोही 02.भीषम राम पुत्र बटोही 03. रविन्द्र पुत्र भीषम राम समस्त निवासीगण सिसवारा थाना दीदारगंज आजमगढ़ 04.अशोक कुमार पुत्र रतन लाल निवासी भरेठी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर द्वारा वादी के साथ बारजा निकालने को लेकर गाली गुप्ता व धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट कर घायल करते हुए बेहोस करने तथा बाद में मृत्यु हो गया था।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 15/2016 धारा 323/325/34/504/506/304 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 16 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 28.01.2025 को मा0 न्यायालय DJ कोर्ट द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.रामदास पुत्र बटोही 02.भीषम राम पुत्र बटोही 03. रविन्द्र पुत्र भीषम राम समस्त निवासीगण सिसवारा थाना दीदारगंज आजमगढ़ 04.अशोक कुमार पुत्र रतन लाल निवासी भरेठी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 8000-8000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।